

घीसाराम / बाबूलाल - 144/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

10.1.25

उपरोक्त पं० वकील अपीलान्त ने जमास्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब क्रमिक दायित्व दफन हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डियन)

अपील नोट प्रेस की खारिज
हस्ताक्षर
पदेन राजस्व
अधिकारी

पदेन राजस्व
अधिकारी
B. J. Singh

